

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 241/2024

अनवान : -

1. मानसिंह पुत्र जीतराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।

- सायल

बनाम्

1. कृष्णा पत्नि जीतराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर
2. रामसिंह पुत्र पूर्णराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर
3. सुभाषचन्द्र पुत्र जीतराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- गैरसायलान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

- उपस्थिति :- 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायल
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक: 31/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 74/74 के ख.न. 149/1 की 2.2510 हैक्टर भूमि ख.न. 167/2 की 3.7690 हैक्टर भूमि कुल तादादी 6.0200 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें सायल एवं गैरसायलान सं. 1 ता 3 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 74/74 की कुल तादादी 6.0200 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें सायल अकेला 19729/60200 हिस्सा, गैरसायल सं. 1 अकेली 1879/8600 हैक्टर भूमि, गैरसायल सं. 2 अकेला 759/6020 हिस्सा भूमि, गैरसायल सं. 3 अकेला 2466/7625 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर से तथा उक्त भूमि संयुक्त दर्ज रहने से भूमि के कब्जा काश्त व लगान बाबत सायल का गैरसायलान के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है तथा सींव, डोल व कब्जा संयुक्त रहने से सायल का गैरसायल से रोजाना विवाद रहता है। इसलिए सायल उपरोक्त भूमि का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त व मुताबिक हक व हिस्सा अनुसार अलग-अलग करवाने की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। सायल ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है गैरसायलान द्वारा सुधारी हुई भूमि में सायलान सींव व डोल तोड़ने को तत्पर है तथा सुधारी हुई भूमि पर गैरसायलान गैर कानूनी तौर से कब्जा करने अजनबी लोगो को बेचने की फिराक में है। अगर गैरसायलान अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा


Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पाने का अधिकारी है एवं गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की जब तक वादी भूमि का खाता व लगान अलग न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।


प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 74/74 की कुल तादादी 6.0200 हैक्टर भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं 0 1 ने जरिये अधिवक्त जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाशतकारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काशतकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नहीं ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं अत इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नहीं किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावों के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 74/74 की कुल तादादी 6.0200 हैक्टर भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काशतकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णाय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णाय क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णाय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 26.09.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.....31/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर